तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज
3/12/19 मेरे समक्ष प्रति. बी. परिहार	अन्य खर्च 16/12/19 [signature]
16/12/2019 मेरे समक्ष प्रति. बी. परिहार	वकुलाय उप. / पीठासीन अधिकारी पाली पधारे हुए है अतः पत्रावली आपन्दा दिनांक 24/12/2019 को पेश हो। [signature]
	24/12/2019 उभयपक्ष उपस्थित / पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 19/2/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)
	19/2/2020 उभयपक्ष उपस्थित। बहस नहीं की गई। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 17/3/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)
17/3/2020	वकुलाय उप. / वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 19/3/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)
19/3/2020	वकुलाय उपस्थित। प्रार्थी का ... धारा - 136 राज लेण्ड रेवेन्यु एक्ट - 19.. खारीज किया ... है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature] सहायक कलेक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:11:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी, देसूरी, जिला–पाली (राज0)

पिठासीन अधिकारी – श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत(R.A.S.)

राजस्व विविध संख्या–06 / 2009

तारीख निर्णय– 19 / 03 / 2020

प्रार्थी

1 सवाई सिंह पुत्र श्री मोतीसिंह जी जाति–राजपूत निवासी–गुडा दुर्जन तहसील–देसूरी

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थीगण–

1. भटीया पुत्र हकाजी के कायम मुकामः–
   1 लीला पुत्री भटीया
   2 काली पुत्री भटीया
   3 भेरा पुत्र भटिया जाति– मेणा निवासी–गुडा दुर्जन तहसील–देसूरी जिला–पाली
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, देसूरी

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1– श्री सुधीर श्रीमाली अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

2– श्री पोकर लाल परिहार अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 के कायम मुकाम की ओर से ।

–: निर्णय :– **दिनांक– 19 / 03 / 2020**

प्रार्थना पत्र सक्षिप्त मे इस प्रकार है कि सरहद ग्राम गुडा दुर्जन तहसील–देसूरी मे राजस्व भूमि के पुराने खसरा नम्बर 41 रकबा 33.14 बीघा किस्म बारानी दोयम आई हुई है। जिस आराजी के नये खसरा नम्बर 113, 114, 104, बने। उक्त मिलान क्षेत्रफल व नक्शा ट्रेस के अनुसार खसरा नम्बर के पुराने खसरा नम्बर 112 / 41 रकबा 10 बीघा भूमि दिनांक 26.04.1976 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आवटन की गई । जिसका नामान्तरकरण संख्या 74 अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में भरा गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:11:17 IST
Reason: SelfAttested

यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 [illegible] आवंटन किये जाने के पश्चात राजस्व अभिलेख में नक्शा [illegible] उक्त खसरा नम्बर काफी बडा होने से अप्रार्थी [illegible] आवंटन की गई भूमि का सीमांकन सही रूप से नही कर सका।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

पेज लगातार 02 पर....

इसके बाद पुराने खसरा नम्बर 112/41 के नये खसरा नम्बर 114 को बने तथा सेटलमेन्ट विभाग द्वारा तरमीन किया जाकर नक्शा ट्रेस मे अप्रार्थी सख्या 1 को आंवटन की गई भूमि को दर्शाया गई भूमि पर कभी भी भौतिक रूप से अधिपत्य नही रहा व न ही कब्जा रहा है। अतः सेटलमेन्ट विभाग द्वारा राजस्व भूमि खसरा नम्बर 114 का तरमीन व संशोधन नक्शा ट्रेस में पुराना नक्शा ट्रेस अनुसार नही किये जाने से जो वर्तमान नक्शा ट्रेस में तरमीन व संशोधन किये गये है। उसको सुधारा जाकर सही प्रविष्ठि में व तरमीन किया जाना आवश्यक है।

यह है कि उपरोक्त खसरा नम्बर 114 सरहद गुडा दुर्जन में स्थित राजस्व भूमि बाद आंवटन के वर्तमान में समय आबादी के निकट आ जाने व खसरा नम्बर 114 में प्रार्थी व अन्य व्यक्तियों के पुश्तैनी बाडे कब्जा सुदा व पट्टा सुदा बने हुये है। खसरा नम्बर 114 से होकर रास्ता खसरा नम्बर 47 गुजरता है। जिससे विवादित आराजी आबादी के नजदीक आने से अप्रार्थी संख्या 1 की नियत खराब हो गई व राजस्व अभिलेख मे अप्रार्थी संख्या 1 को पुराने नक्शे में तरमीम नही किये जाने व नये नक्शे में दर्शाया जाने से अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी के साथ–साथ अन्य व्यक्तियों को तंग व परेशान करने में तुला हुआ है। इसी नियत के साथ अप्रार्थी ने पुलिस अधिक्षक, बाली के समक्ष अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है ताकि प्रार्थी व अन्य व्यक्ति अपना पुश्तैनी व पट्टा शुदा कब्जा हटा दे।

अतः सेटलमेन्ट विभाग द्वारा जो गलती नक्शा ट्रेस में तरमीन नहीं किये जाने से हुई गलती नक्शा ट्रेस में तरंमीम नही किये जाने से हुई है उसका सुधारा जाकर सही प्रविष्टि व तरमीम किया जाना आवश्यक है। जिससे प्रार्थी की ओर से अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व अभिलेख में दुरस्ती व सही प्रविष्ठि करवाने का इस अमर से पेश है कि सरहद गुडा दुर्जन तहसील–देसूरी में स्थित राजस्व भूमि खसरा नम्बर 114 का जो वर्तमान नक्शा ट्रेस मे तरमीन किया गया है वह अन्यत्र खसरा नम्बर 113 के भाग में किया में किया जावे व आवश्यक रिकोर्ड दुरस्ती करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी गांव गुडा दुर्जन का निवासी अवश्य है किन्तु उसे काश्तकार के रूप में प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:11:17 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

प्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी के नये खसरा नम्बर 114 रकबा 1.51 हैक्टर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ने हस्ब धारा 183(बी) आर.टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवा कर प्रार्थी से कब्जा हस्तगत किया है।

प्रार्थी का यह लिखना कत्तई गलत है कि नये खसरा नम्बर 114 पुराने खसरा नम्बर 112/41 से बने है. प्रार्थी का इस खसरा नम्बर 114 पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है।

यह अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में भू–प्रबन्ध विभाग ने सही रूपेण खसरा नम्बर 114 की भूमि दर्ज की है जिस पर अप्रार्थी सख्या 1 का ही कब्जा काश्त रहा है। प्रार्थी इस जमीन पर कब्जा नही रहा है। उसने अतिक्रमण किया था जो हटा दिया गया है।

प्रार्थी का यह लिखना कत्तई गलत है कि इस स्थान पर खसरा नम्बर 114 की जमीनपर पुश्तैनी बाडे बने हुए है। तथा प्रार्थी का यह भी कहना है कि यह जमीन सन् 1976 मे अलोट हुई थी वैसी स्थिति में पुश्तैनी बाडे होना स्वतः ही गलत हो जाता है।

प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र के जरिये अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी खसरा नम्बर 113 में नही करवा सकता है। खसरा नम्बर 114 की जगह मौके की जगह जिससे प्रार्थी इस पर अपना हक जमाना चाहता है जिसको ऐसा करने का कोई हक अधिकार नही है।

अप्रार्थी संख्या 2 ने दिनांक 3.04.2001 को जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 भटीया को गत खसरा नम्बर 112/41 रकबा 10 बीघा भूमि आवंटन की गई जिस पर आंवटन शुदा भूमि को उपजाउ बनाने हेतु वित्तिय सस्थाओं से ऋण भी प्राप्त किया है। मौका की स्थिति व मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल खसरा नम्बर 114 रकबा 1.51 हैक्टर सही बने है।

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की खातेदारी भूमि जो आगामी के करीब आने से हथियाना चाहते है। तथा उस पर कब्जा कर लिया था जिस पर प्रार्थी द्वारा सक्षम न्यायालय से कब्जे की डिकी प्राप्त की है तथा पुनः कब्जा प्राप्त कर लिया है। नक्शे में तरमीन पूर्ण अंकन है तथा जहां पर [illegible] को कब्जा सुपुर्द किया गया है वहा प्रार्थी काबीज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:11:17 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 04 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)

इस संबंध में मौका रिपोर्ट दिनांक 07.01.2006 को मगवाई गई जो शामिल पत्रावली है। तथा दिनांक 01.09.2006 को विस्तुत मौका रिपोर्ट आर.आई पटवार हल्का व गुप सचिव से सयुक्त रूप से मगवाई गई। जो शामिल पत्रावली है। आर आई व ग्रुप सचिव की मौका रिपोर्ट के अनुसार ग्राम गुडा दुर्जन के गत खसरा नम्बर 41 के नये खसरा नम्बर 113, 114, 115 एवम् 116 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार सही पाये गये। मौका व रिकोर्ड के अनुसार ग्राम गुडा दुर्जन कि खसरा नम्बर 114 रकबा 1.51 हैक्टर भटीया पुत्र हका कौम मीणा की खातेदारी दर्ज है। जिस पर भटीया का कब्जा है इसी खसरा नम्बर 114 से लगता हुआ खसरा नम्बर 113 रकबा 2.20 हैक्टर सरकारी भूमि रिकोर्ड में दर्ज है जिसमें 0.80 हैक्टर भूमि पर भटिया पुत्र हका का कब्जा है। इसी खसरा नम्बर 113 में भटीया पुत्र हका का बेरा खुदा हुआ है।

आर.आई व ग्रुप सचिव की मौका रिपोर्ट के बाद पत्रावली बहस में नियत की जाकर दिनांक 15.06.2007 को इस न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौजा सरहद गुडा दुर्जग की कृषि भूमि खसरा नम्बर 113 मे से 0.80 हैक्टर भूमि अप्रार्थी के खाते मे से 0.80 हैक्टर भूमि अप्रार्थी के खाते मे दर्ज की जावे। शेष भूमि खसरा नम्बर 113 के चिपते हुए खसरा नम्बर 114 मे से 0.80 हैक्टर भूमि अप्रार्थी की खाते मे जर्द यथा रखी जावे तथा शेष भूमि खसरा नम्बर 115 के चिपते रकबा को पुनः आबादी मे दर्ज की जावे। 1.51 हैक्टर – 0.80 हैक्टर = 0.71 हैक्टर भूमि आबादी मे दर्ज की जावे। तदनुसार राजस्व रिकोर्ड मे अमल दरामद एवं नक्शा तरमीम की जावे।

अप्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड न्यायालय देसूरी के निर्णय दिनांक 15.06.2007 के खिलाफ माननीय न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर में अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू. एक्ट के तहत की गई। माननीय न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय को अपास्त कर प्रकरण उपखण्ड न्यायालय देसूरी को प्रेषित कर निर्देश दिये गये कि पक्षकारान को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का न्यायोचित अवसर दिया जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

प्रकरण उपखण्ड न्यायालय में दर्ज किया जाकर उभय पक्षकारान को नोटिस तलब किये जाकर साक्ष्य पेश करने हेतु निर्देश दिये गये। दिनांक 30.08.2010 को वकील प्रार्थी द्वारा बाबत स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर दिनांक 03.09.2010 को बहस सुनी जाकर न्यायालय द्वारा मूल पत्रावली का निर्णय नही हो जाने तक वादग्रस्त भूमि के संबंध में पक्षकारान यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:11:17 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 05 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ.) देसूरी (पाली)

प्रकरण मे पत्रावली अन्य न्यायालय को अन्तरित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के यहॉ पेश होने पर पत्रावली मय टिप्पणी जिला कलक्टर महोदय को प्रेषित की गई। जिला कलेक्टर महोदय के आदेश कमांक–532 दिनांक 30.11.2011 के जरिये आदेश 03.11.2011 की पालना में प्रार्थना पत्र निस्प्रभावी होने से मूल पत्रावली वास्ते सुनवाई हेतु पुनः इस न्यायालय मे भिजवाई गई।

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 भटिया की मृत्यु होने पर प्रार्थना पत्र आदेश–22 नियम–4 सीपीसी सपठित धारा 151 पेश किया गया। जिसे स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के कायम मुकाम को रिकोर्ड पर लिये गये।

प्रार्थी द्वारा दिनांक 29.09.2010 को प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश–6 नियम–17 सीपीसी सपठित धारा 151, 141 सीपीसी वास्ते प्रार्थना पत्र में संशोधन हेतु पेश किया जिसे दिनांक 1.03.2017 को खारीज कर दिया गया।

इसके उपरान्त पत्रावली साक्ष्य मे नियत की गई। प्रार्थी की ओर से चुन्नीलाल, नरपत सिंह व गजेन्द्र सिंह ने शपथ पत्र पेश किया तथा अप्रार्थी की ओर से भैराराम, लीला व काली द्वारा शपथ पत्र वास्ते साक्ष्य अभिलेखीय हेतु पेश किया गया।

प्रकरण मे बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस मे प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्यो को दोहराते हुए व्यक्त किया कि पुराने खसरा नम्बर 41 रकबा 33.14 बीघा भूमि के खसरा नम्बर 113, 114, व 104 बने है। पुराने खसरा नम्बर 112/41 रकबा 10 बीघा दिनांक 26.04.1976 को अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटित हुई थी। पुराने खसरा नम्बर 114 को हाल ही मे हुए सेटलमेन्ट विभाग द्वारा तरमीन किया जाकर नक्शा ट्रेस मे अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटित की भूमि मे दर्शाया गया है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 का इस भूमि पर कभी भी कब्जा या अधिपत्य नही रहा है। खसरा नम्बर 114 राजस्व भूमि आबादी के निकट आ चुकी है। प्रार्थी के अलावा अन्य ग्राम वासियो के पुश्तैनी बाडे है। अतः गुडा दुर्जन की राजस्व भूमि खसरा नम्बर 114 का जो वर्तमान नक्शा ट्रेस मे तरमीन किया गया है वह अन्यत्र खसरा नम्बर 113 के भाग में किया जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने बहस [illegible] करते हुए व्यक्त किया कि राज्य सरकार द्वारा चलाये गये [illegible] 1976 को भूमि आवंटन सलाकार समिति द्वारा दिनांक 26.04.1976 को भटीया पुत्र हका जाति–मीणा को खसरा नम्बर 112/41 रकबा 10 बीघा भूमि नियमानुसार आवंटित की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:11:17 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 06 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आवटिती भटीया मीणा द्वारा सनद शुल्क जमा कराने के बाद उपखण्ड अधिकारी बाली के आदेश कमाक/भू/आवंटन/77–79 तारीख 26.04.1976 द्वारा आवटिती को सनद जारी की गई तथा आदेश की पालना में पटवारी हल्का पनोता द्वारा मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया। और तब से भटिया मीणा का लगातार कब्जा काश्त रहा है। प्रार्थी द्वारा कीमती जमीन होने की वजह से प्रार्थी सवाई सिंह द्वारा उक्त भूमि पर अतिकमण करने का प्रयास किया गया था जिसके विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, पाली को शिकायत करने पर तहसीलदार देसूरी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183(बी) के तहत कार्यवाही कर प्रार्थी सवाई सिंह का उक्त भूमि से कब्जा हटाते हुए अप्रार्थी संख्या 1 को कब्जा सुपुर्द किया गया था। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये:–

1. आर.आर.डी. 1983 पेज न. 159 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
2. आर.आर.डी 1986 पेज न. 51
3. आर.आर.टी. 2011(2) पेज न. 914 राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच
4. आर.आर.टी 2011(1) पेज न. 315 बोर्ड आफ रेवेन्यु, राजस्थान
5. आर.आर.टी. 2011(1) रामेश्वर एवं अन्य बनाम रामेश्वर व अन्य

जो कि उक्त प्रकरण पर चस्पा होता है।

वकुलाय की बहस सुनी गई। बहस, मौका रिपोर्ट व पत्रावली में उपलब्ध दस्ताबेजो तथा न्यायालय तहसीलदार के निर्णय अन्तर्गत धारा 183(बी) के निर्णय का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि–प्रार्थी यद्यापि गुढा दुर्जन का निवासी अवश्य है परन्तु वहाँ के नागरिक की हैसियत से प्रार्थी को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश करने का कोई अधिकार नही है। धारा 136 के अन्तरगंत केवल लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा जो उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख में किया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे।

न्यायालय की राय में प्रार्थी हितबद्ध पक्षकार नही है अतः प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार नही है।

प्रार्थना पत्र के गुणावगुण पर वि[illegible] पर यह पाया गया कि अप्रार्थी जो कि खसरा नम्बर 114 [illegible] रिकार्डेड खातेदार होने के नाते उसे उसके कब्जे एवं [illegible] की बेहतर जानकारी है इसका निर्णय किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं किया [illegible] सकता है जैसा कि इस प्रकरण मे दृष्टिगत होता है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी रिकार्डेड खातेदार का कब्जा खसरा नम्बर

पेज लगातार 07 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:11:17 IST
Reason: SelfAttested

113 मे बताते हुए तरमीम संशोधन कराने का अनुतोष चाहा है जो कि किसी भी प्रकार से देय नही है।

प्रार्थी द्वारा पूर्व मे अनु.जनजाति के अप्रार्थी भटि्टया की उक्त खातेदारी कृषि भूमि को हडपने का प्रयास किया जो तहसीलदार देसूरी द्वारा धारा 183 (बी) के तहत प्रार्थी का कब्जा हटाकर अप्रार्थी संख्या 1 को सुपुर्द किया गया। जिससे अप्रार्थी का कब्जा एवं तरमीम सही साबित होती है।

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की जमीन का फर्जी पट्टा अपने पुत्र नरेन्द्र सिंह के नाम से प्राप्त किया था जिसे न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली द्वारा दिनांक 08.12 2014 को निरस्त किया गया।

अप्रार्थी संख्या–2 पैरोकार सरकार द्वारा भी अपने जवाब मे आवंटी का कब्जा माना है एवम् जो तरमीन नक्शें में की गई है उसे पूर्णतः सही माना है। जो कि धारा 136 के प्रकरणों में पैरोकार सरकार का जवाब महत्वपूर्ण दस्ताबेज है। तथा मौके रिपोर्ट भी खसरा नम्बर 114 पर अप्रार्थी के कब्जे की पृष्टि करती है।

उपरोक्त विवेचन मे न्यायालय की राय मे राजस्व अभिलेख मे प्रार्थी इसका खातेदार दर्ज नही होना प्रतीत होता है एवं एक खातेदार ही रिकार्ड मे इन्द्राज की हुई अविवादित लिपिकीय त्रुटी को ही हस्ब धारा– 136 राज0भू–राजस्व अधिनियम के तहत सुधारा जा सकता है एवं प्रार्थी ऐसी अविवादित इन्द्राज की लिपिकीय लिपिकीय त्रुटी होना साबित नही करवा पाया है एवं धारा– 136 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदत्त नही किये जा सकते है।

उपयुक्त विवेचन मे न्यायालय की राय मे प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र हस्ब धारा– 136 राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 के तहत आवृत नही होने कानूनन स्वीकार योग्य नही है।

–: आदेश :–

अतएव प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र हस्ब धारा– 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
देसूरी
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:11:17 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक– 19 [illegible] मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
देसूरी
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)